



देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

TM

रेफरेंस संख्या -2021/mmp/49

E-Newsletter, Issued in Public Interest

बुधवार, 24 मार्च 2021

भाग-1

मिशन मास्टर प्लान

नगर निगम ग्रेटर के मानसरोवर ज़ोन में स्थित
आवासीय भूखंड संख्या 105/120 विजयपथ, मानसरोवर
पर बिना सेटबैक छोड़े, बिना सक्षम स्वीकृति के
बन रहा अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स!!



प्रथम सुचना रिपोर्ट

1.	भूखंड का पता	105/120 विजय पथ, मानसरोवर जयपुर
2.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना सेटबैक नियमों की पालना किये, बिना पार्किंग छोड़े, बिना सक्षम स्वीकृति के, बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए, बेसमेंट सहित 5 मंजिला अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण
3.	बिल्डर/सम्बंधित फार्म	नामालूम
4.	सम्बंधित ज्ञोन	मानसरोवर ज्ञोन नगर निगम ग्रेटर
5.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	उपायुक्त मानसरोवर ज्ञोन
6.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	24/03/2021

जवाब मांगते सवाल?

1. यह काम्प्लेक्स वैध है या अवैध?
2. भवन मालिक द्वारा किसकी अनुमति से इस अवैध काम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया है? क्या इस अवैध काम्प्लेक्स के नक्शे पास हैं?
3. आखिर कब मानसरोवर ज्ञोन के अधिकारी इन अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाएंगे?
4. यह मामला हमारे द्वारा मानसरोवर ज्ञोन के आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या मानसरोवर ज्ञोन के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
5. क्या मानसरोवर ज्ञोन के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं हैं?
6. क्या इस अवैध निर्माणों के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है? क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने
दिल्ली सरकार

जयपुर @ परिकार, अवैध निर्माण संहिता अन्वेषण गतिविधियां नहीं होने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार विवेक काम्प्लेक्स के तहाँ कारबाही का दस्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण संहिता अन्वेषण पर सख्ती दिखाते हुए लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के लाई वारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक व्यूसे के महानीरोधक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने अवैध को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जन महेश चन्द्र शर्मा ने महानीरोधक नाम की अवमानना विविकार पर वह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को जयपुर टने का आदेश दिया था। इस पर कारबाही न होने पर वह व्यविकार दायर की है। प्राधिकरण की ओर से अविविकार विवल जीर्णी ने कोई कोलाया कि इस वाहर में अवैध निर्माण व कड़न तो रह है। कोर्ट के आदेशों की अवमानना से रही है। अवैध निर्माण व कड़न को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को ऐत्रिवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस

कारबाही संभव

अविविकार महानीरोधक की एक गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कारबाही न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार नियोजन कानून के तहाँ कारबाही हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के अग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब लालू किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिकारक पक्ष रखता रहा तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को संतुलित होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगी।

केन्द्रीय सरकार की मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता के तहत जारी:- www.jawabdosarkar.com शासन के विभिन्न अभिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित ऑनलाइन मिडिया प्लेटफॉर्म है। अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु पोर्टल द्वारा समय समय पर अपने अभियानों के माध्यम से विभिन्न विषयों / मुद्रों / समस्याओं के सम्बन्ध में तथ्यप्रकर रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है। पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को उससे सम्बंधित सभी पक्षों / प्रभावितों और व्यापक जन हित में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुंचाना पोर्टल की पारदर्शिता निति का हिस्सा मात्र है। पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का किसी व्यक्ति/ संस्था/ जाति/धर्म/ संप्रदाय विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है। पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष/ सुझाव/ आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/ दस्तावेजों के पोर्टल के अधिकारिक पते:-S-1, सेकंड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट, जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड, जयपुर अथवा ईमेल:-jawabdosarkar01@gmail.com अथवा व्हाट्सअप नं. 9828346151 पर प्रेषित कर सकते हैं। आपके पक्ष/ सुझाव/ आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अंगते अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा।